2020/00026

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
रामेश्वर सिंह पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह जाति राजपुत निवासी भैसवाडा तहसील आहोर जिला जालोर		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना–पत्र धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

मुकदमा नं. **4 वर्ष 2020**

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.03.2020	प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान **राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956** की धारा 81 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा द्वारा मौजा ढुढांई के खसरा संख्या 143/4 रकबा 15200 वर्गफिट पर निर्माण करने से मुकदमा संख्या 44/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.2.2020 के विरूद्ध अपील के साथ साथ प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं श्री दिनेश अग्रवाल की एकपक्षीय बहस सुनी गई सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने से एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी करना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.03.2020 को पेश हो । जिला कलेक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

22.07.2020	कोविड–19 के कारण मुर्करर पेशी पर पत्रावली आज पेश हुई ।अपीलांट अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । दोनो पक्षो की बहस सुनी गई । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28.07.2020 को पेश हो ।

जिला कलक्टर, सिरोही

28.07.2020	अपीलांट अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । अपीलांट की अपील रिमाण्ड किये जाने का विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल कर सरे ईजलास सुनाया गया। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:44:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner